राजस्थान सरकार

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बांसवाड़ा
पीठासीन अधिकारी : डॉ. नीरज कुमार पवन

निर्णय

प्रकरण संख्या 20/2023, जीसीएमएस नम्बर 2023/18

उनवान –

1. श्री केशुराम पिता श्री गंगाराम कुमावत, निवासी गोमाना, तहसील छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़।

अपीलार्थी

1. श्री मानसिंह पिता श्री सोभागमल कुमावत, निवासी बिनोता, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़।
3. श्री दिलखुश पिता श्री शंकरलाल कुमावत नाबालिग व बिलायत प्राकृतिक संरक्षक माता श्री सलादेवी पत्नि श्री शंकरलाल कुमावत, निवासी गोमाना, तहसील छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार, छोटीसादड़ी, बप्रकरण संख्या 135/2022 निर्णय दिनांक 26.12.2022 (उनवान मानसिंह बनाम केशुराम व अन्य)

उपस्थिति दौराने बहस :–

1. श्री राजकुमार जैन, मिनाक्षी सुथार, श्री रामप्रसाद जणवा – वकील अपीलार्थी
2. श्री अनुराग जैन, श्री शीखा जैन – वकील दिलखुश पिता शंकरलाल।

दिनांक : 03/01/2024

राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 से उदयपुर संभाग का पुनर्गठन किया जाकर नवगठित संभाग बांसवाड़ा को संभाग बनाया गया है, जो दिनांक 07.08.2023 से प्रभावी है। उक्त अधिसूचना की अनुपालना में इस न्यायालय संभागीय आयुक्त, बांसवाड़ा में पत्रावली दिनांक 26.09.2023 को दर्ज की गई।

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार, छोटीसादड़ी, बप्रकरण संख्या 135/2022 निर्णय दिनांक 26.12.2022 (उनवान मानसिंह बनाम केशुराम व अन्य) के पेश की गई है।

प्रस्तुत अपील दिनांक 23.02.2023 के अनुसार अपीलाण्ट की पैतृक भूमि मौजा गोमाना पटवार हल्का गोमाना तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ में स्थित है जिसके आराजी नम्बर 1118 रकबा 0.2200 है. आराजी नम्बर 1159 रकबा 0.1200, आराजी नम्बर 1161 रकबा 0.2200 है. आराजी नम्बर 1163 रकबा 0.0500 है., आराजी नम्बर 1225 रकबा 0.1900 है., आराजी नम्बर 394 रकबा 0.3500 है., आराजी नम्बर 751 रकबा 0.7000 है कुल किता 7 रकबा 1.8500 है. भूमि स्थित है तथा आराजी नम्बर 1114 रकबा 0.0300 है, आराजी नम्बर 1116 रकबा 0.2500 है, आराजी नम्बर 1117 रकबा 0.0300 है, कुल किता 3 रकबा 0.3100 है भूमि स्थित है तथा आराजी नम्बर 1243 रकबा 0.0300 है, आराजी नम्बर 1244 रकबा 0.7000 है., आराजी नम्बर 1245 रकबा 0.6400 है., आराजी नम्बर 1246 रकबा 0.0400 है. कुल किता 4 रकबा 1.4100 है. भूमि स्थित है तथा आराजी नम्बर 398 रकबा 0.1900 है. भूमि स्थित है जो अपीलाण्ट के बाप दादाओं की होकर संयुक्त परिवार की सम्पती है और उसमें अपीलाण्ट तथा उसके भाई के नाम पर उनके पिताजी की मृत्यु होने के बाद विरासत से दर्ज हुई है और उक्त भूमि का अभी तक बंटवारा नही हुऑ है और अपीलाण्ट के भाई माधुलाल पिता गंगाराम की मृत्यु हो चुकी है और उसकी भाभी की मृत्यु हो चुकी है ओर उक्त भूमि पर अपीलाण्ट तन्हा स्वामी काश्तकार काबीज होकर के उपयोग उपभोग कर रहा है ओर अपने भाई के कोई पुत्र संतान नही होने से उसकी भूमि की विरासत अपीलाण्ट ने अपने नाम पर खुलवाने के लिए अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया ओर उसके बाद एक प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट के द्वारा भी पेश किया ओर उसके बाद एक प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट के द्वारा भी पेश किया ओर निवेदन किया की मृतक उसके फुफासा है और उन्होने उसके पक्ष में एक अनरजिस्टर्ड वसीयत निष्पादित कर रखी है ओर जिस पर उक्त प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड करके प्रकरण दर्ज किया गया ओर उस पर आनन फानन पर

न्यायालय संभागीय आयुक्त बांसवाड़ा

संभागीय आयुक्त बांसवाड़ा (राज.)

अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र पर बिना सुनवाई किये सिर्फ वसीयत के आधार पर अपीलाण्ट को अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बिना ही आनन फानन में आदेश पारीत कर दिया जिससे व्यथित होकर के प्रार्थी अपीलाण्ट उक्त अपील आप श्रीमान के समक्ष निम्न कानूनी एवं विधिक बिन्दुओं के आधार पर पेश की है।

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय व विधि के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह बात भली प्रकार से थी कि उक्त भूमि अपीलाण्ट की पैत्रक भूमि होकर के हिन्दु संयुक्त परिवार की अविभाजित सम्पत्ती है और विधि में पैत्रक भूमि की वसीयत नही की जा सकती है और उक्त बात पटवार हल्का की रिपोर्ट तथा मौका पंचनामे से न्यायालय के समक्ष आ चुकी थी की उक्त भूमि पैतृक भूमि है बावजुद इसके अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त विधिक बिन्दु पर गौर किये बिना उक्त अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर भूमि हस्तान्तरण का आदेश पारीत करने में भारी वाकियाती एवं कानूनी भूल की है और भूल करके जो आदेश पारीत किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।
3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली पर यह बात भी भली प्रकार से थी कि उक्त भूमि पर अपीलाण्ट काबीज होकर के काश्त कर रहा है ओर वसीयत गृहीता का उक्त भूमि पर कब्जा नही है और नही अपीलाण्ट के परिवार का सदस्य ही है उक्त बात पटवार हल्का की रिपोर्ट तथा मौका पंचनामा से न्यायालय के समक्ष थी बावजुद इसके अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त विधिक बिन्दु पर गौर किये बिना उक्त अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर भूमि हस्तान्तरण का आदेश पारीत करने में भारी वाकियाती एवं कानूनी भूल की है और भूल करके जो आदेश पारीत किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।
4. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेकर्ड पर यह बात भी भली प्रकार से आ चुकी थी की उक्त भूमि के बारे मे अपीलाण्ट ने घोषणा व निषेधाज्ञा का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी के तहत पेश कर रख है ओर जो न्यायालय में विचाराधीन है ओर उसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 28.11.2022 को स्थगन आदेश पारीत कर रखा है ओर उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय भी पक्षकार है ओर उनके उक्त बात पूर्णतया ज्ञान में थी कि उक्त प्रकरण में स्थगन आदेश पारीत कर रखा है और उक्त बात की जानकारी होते हुए भी की उक्त भूमि के बारे में पक्षकारों के मध्य न्यायालय में विवाद विचाराधीन है बावजुद इसके अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त विधिक बिन्दु पर गौर किये बिना उक्त अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर भूमि हस्तान्तरण का आदेश पारीत करने में भारी वाकियाती एवं कानूनी भूल की है और भूल करके जो आदेश पारीत किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।
5. यह कि उक्त प्रकरण में जब अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट के द्वारा उपस्थिति देने के बाद उसने मृतक के वसीयत के बारे में जिक्र किया और उसको पेश की तो अपीलाण्ट के द्वारा उक्त वसीयत को निरस्ती बाबत भी सिविल न्यायालय में प्रकरण पेश किया है जो विचारधीन है जिसमें भी सिविल न्यायालय के द्वारा दिनांक 13.02.2023 को स्थगन का आदेश पारीत कर रखा है जब वर्तमान में भी प्रभावी है ओर उक्त बात तथा तथ्यों के बारे में अधीनस्थ न्यायालय को पूर्ण जानकारी होने के बावजुद भी उनके द्वारा उक्त अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर उक्त भूमि के हस्तान्तरण का आदेश पारीत करने में भारी कानूनी एवं वाकीयाती भूल की है और भूल करके जो आदेश पारीत किया गया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।
6. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह बात भी रेकार्ड पर भली प्रकार से आ गयी थी की उक्त वसीयत की निरस्ती के बाबत तथा उक्त भूमि के स्वामित्व के तथा हक हितो के लेकर के प्रकरण पक्षकारों के मध्य विचाराधीन है और उसमें वह भी पक्षकार के रूप में संयोजित किये गये है ओर उनकी उपस्थिति में न्यायालय के द्वारा आदेश पारीत किया गया है बावजुद इसके उक्त बातो को नजर अन्दाज करके उक्त अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर उक्त भूमि के हस्तान्तरण का आदेश पारीत करने में भारी कानूनी एवं वाकीयाती भूल की है और भूल करके जो आदेश पारीत किया गया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।
7. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह मान लिया कि उक्त वसीयत नामा निष्पादित किया गया है परन्तु वह वसीयत असल है या नही या विधि अनुरूप है या नही और वसीयत की सत्यता के बारे में तहसीलदार अर्थात अधीनस्थ न्यायालय को उसके बारे में जॉच करने का अधिकार नही है और अधिकार नही होते हुए भी उक्त अनरजिस्टर्ड वसीयत को सही मानकर के उसके आधार पर उक्त भूमि के हस्तान्तरण का आदेश पारीत करने में भारी कानूनी एवं वाकीयाती भूल की है और भूल करके जो आदेश पारीत किया गया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।
8. यह कि अन्य कई उजरात वक्त बहस अर्ज किये जाएगें।
9. अपील में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय निर्णय तहसीलदार छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ प्रकरण संख्या 135/2022 निर्णय दिनांक 26.12.2022 को निरस्त फरमाने निवेदन किया है।

न्यायालय संभागीय आयुक्त बांसवाड़ा

संभागीय आयुक्त
बांसवाड़ा (राज.)

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है–

- वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी–1 श्री मानसिंह कुमावत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण किये जाने का अनुरोध किया एवं कथन प्रस्तुत किया कि उसके फुफा श्री माधुलाल पिता गंगाराम कुमावत निवासी गोमाना की देहावसान हो चुका है, उन्होनें अपनी चल एवं अचल सम्पत्ति की वसीयत उसके नाम की है, अतः ग्राम गोमाना पटवार हल्का गोमाना में उनके नाम दर्ज खातेदारी भूमि वसीयत के आधार पर उसके नाम दर्ज की जावें। दिनांक 16.11.2022 को मृतक श्री माधुलाल के भाई श्री केशुराम कुमावत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर विरासत के आधार पर नामान्तरकरण खोले जाने हेतु अनुरोध किया।
- तहसीलदार, छोटीसादड़ी द्वारा प्रकरण दर्ज कर निर्णय दिनांक 26.12.2022 से मृतक माधुलाल के नाम अंकित भूमि को वसीयत के आधार पर श्री मानसिंह पिता श्री शोभागमल कुमावत निवासी बिनोता तहसील चित्तौड़गढ़ के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रसारित किया। (पत्रावली में संलग्न निर्णय)

उक्त आदेश दिनांक 26.12.2022 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा समक्ष उक्त अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की। प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट श्री मानसिंह पिता सोभागमल जाति कुमावत, निवासी बिनोता, तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तोड़गढ (राज.) के नाम नोटिस तारीख पेशी दिनांक 15.09.2023 को जारी किया गया। नोटिस के पृष्ठ भाग पर तामिल कुनिन्दा प्रेमदेवी ने लिखित सूचना का अंकन किया कि उक्त नोटिस लेकर उक्त प्रार्थी की तामिल करवाने गई। उक्त प्रार्थी ने तामील लेना मना किया। अतः उक्त मौके पर मौतबिरान ने भी तस्दीक देना मना किया। अतः श्रीमान कि सेवा में बाद तामील रिपोर्ट पेश है। इस रिपोर्ट पर शाखा प्रभारी (विविध शाखा) ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 10.10.2023 में अंकन किया कि तामिल कुनिन्दा एक बार पुनः सम्मन की तामिलन हेतु प्रार्थी के घर जाना सुनिश्चित करे एवं मुझ शाखा प्रभारी (विविध शाखा) की प्रार्थी से बात करावे। तामिल कुनिन्दा पुनः प्रार्थी के घर तामिलन करवाने गया एवं प्रार्थी की मोबाईल पर मुझ शाखा प्रभारी से करवाई तो प्रार्थी ने स्पष्ट तौर पर तामिलन लेने से मना किया एवं बताया कि इस मामले में हमने पूर्व में वकील कर रखा है एवं मामले की हमे जानकारी है। मौतबिरान की तस्दीक पेश बाद तामिल रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है। तहसीलदार निम्बाहेडा उक्त रिपोर्ट के आधार पर नोटिस तारीख पेशी बाद तामिल मुल ही इस न्यायालय को प्रेषित किया गया। जो पत्रावली में शामिल हे। तारीख पेशी दिनांक 12.10.2023 से लगातार अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित हुवे किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं उनके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नही हुवे। अतः दिनांक 20.12.2023 को अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित, पत्रावली में प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बनारजगी निर्णय तहसीलदार छोटीसादडी जिला प्रतापगढ प्रकरण संख्या 135/2022 निर्णय दिनांक 26.12.2022 के संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 81 एल.आर.एक्ट दिनांक 23.02.2023, केवियट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148–ए सी.पी.सी.दिनांक 14.02.2023 पर बहस की गई। केवियट प्रार्थना पत्र दिनांक 14.02.2023 का समय सीमा 6 माह म्याद सीमा गुजरने पर एवं केवियटकर्ता श्री मानसिंह पिता श्री शोभागमल जी कुमावत आयु वयस्क, निवासी बिनोता, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तोडगढ़ (राज.) इस म्याद सीमा में नोटिस द्वारा सूचित होने उपरान्त भी अनुपस्थित रहे। अतः केवियट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148–ए सी.पी.सी. पर अब कोई कार्यवाही शेष नही होने से इस स्तर पर सुनवाई का अवसर बन्द किये जाने के आदेश दिया जाता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 81 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सहपठित धारा 151 जाप्ता दिवानी प्रार्थी दिलखुश पिता शंकर लाल जी कुमावत आयु 17 वर्ष नाबालीक व विलायत प्राकृतीक संरक्षक माता श्रीमती सलादेवी पत्नी श्री शंकरलाल जी कुमावत उम्र 42 वर्ष निवासी गोमाना तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ की ओर से 12.04.2023 को पेश हुआ। जिसमें निवेदन किया कि अपीलाण्ट ने उक्त उनवान की अपील आप न्यायालय में पेश कर रखी है जो वास्ते तामिल व जवाब हेतु नियत है। प्रार्थी के पिता श्री शंकरलाल पिता केशुराम जी कुमावत के द्वारा प्रार्थी के जन्म के कुछ समय बाद ही प्रार्थी तथा उसकी माता को छोडकर के अन्य औरत से नाता विवाह कर लिया था और प्रार्थी के पिता उस दुसरी औरत के साथ ही अपना जीवन यापन कर रहा है तथा प्रार्थी तथा उसकी माता की देख रेख नही करने के कारण प्रार्थी तथा उसकी माता अपने संग काका श्री माधवलाल उर्फ माधुलाल जी के पास ही रहते थे क्यों की उनके कोई संतान नही थी जिसके कारण वे प्रार्थी तथा उसकी माता से पुत्रवत प्रेम स्नेह करते थे और उन्होने प्रार्थी को अपने पास ही रख लिया था ओर प्रार्थी की पढाई लिखाई भरण पोषण आदि सारा खर्च वो ही करते थे और प्रार्थी ही उनकी सारी सेवा चाकरी आदि करता था और प्रार्थी का नाम उन्होने अपने राशन कार्ड जन आधार कार्ड आदि में अंकित करवाया था तथा प्रार्थी तथा उसकी माता उनके साथ मे उनके मकान में ही निवास करते थे ओर वर्तमान में भी उनके मकान मे ही निवासी कर रहे है।

न्यायालय संभागीय आयुक्त बांसवाड़ा

संभागीय आयुक्त
बांसवाड़ा (राज.)

प्रार्थी की सेवा चाकरी तथा आपसी प्रेम भाव तथा प्राकृतिक लगाव हो जाने से स्व. माधवलाल जी ने प्रार्थी के पक्ष में एक वसीयतनामा दिनांक 03.06.2019 को उनकी सारी चल व अचल सम्पती का निष्पादन करके गॉव के तथा समाज के पटेल सुखलाल पिता बगदीलाल जी कुमावत निवासी गोमाना को सुपुर्द कर दिया था जिनके द्वारा उक्त वसीयत नामा उनकी मृत्यु के बाद मुझको बताया तथा उसकी मुल प्रति मुझ प्रार्थी को सुपुर्द की है।

माधवलाल उर्फ माधुलाल जी सम्पत्ती हडप करने की नियत से केशुराम जी ने सिविल न्यायालय छोटीसादडी में पेश किया जिस पर पटवार हल्का के द्वारा मौका रिपोर्ट बनाने के लिए मौके पर आये तो उक्त बात के बारे में जानकारी हुई तो प्रार्थी ने उक्त वाद में पक्षकार बनने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर न्यायालय के द्वारा प्रार्थी को पक्षकार बना दिया है तथा दौराने बहस उक्त प्रकरण के बारे में भी जिक्र किया तो प्रार्थी ने उक्त प्रकरण के बारे में जॉच पडताल की तो उक्त प्रकरण के बारे में पता चला ओर उक्त प्रकरण के बारे में पता चलते ही प्रार्थी उस प्रकरण में पक्षकार बनने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र आप श्रीमान के समक्ष पेश कर रहा है।

स्व. माधवलाल जी ने प्रार्थी के पक्ष में वसीयत कर रखी है और उसके कब्जे आधिपत्य एवं स्वामित्व की भूमि है और उसको हड़प करने के लिए उक्त व्यक्ति अलग अलग हथकण्डे अपना रहे है जबकि उक्त भूमि में प्रार्थी का भी हक हिस्सा स्थित होने से आवश्यक है कि प्रार्थी को भी रेस्पोडेन्ट के रूप में संयोजित किया जावे नही तो वह अपनी हक हिस्से की भूमि से मेहरूम हो जावेगा इसलिए आवश्यक है कि उक्त अपील में प्रार्थी भी आवश्यक पक्षकार है और उसको सुने बिना उक्त अपील का निस्तारण नही किया जा सकता है इसलिए आवश्यक है कि प्रार्थी को भी उक्त प्रकरण में पक्षकार के रूप में संयोजित किया जावे नही तो प्रार्थी न्याय से वंचित हो जावेगी जिसकी क्षतिपूर्ति एवजाने में नहीं आकी जा सकेगी।

उक्त भूमि में प्रार्थी का भी हक हिस्सा स्थित है इसलिए आवश्यक है कि प्रार्थी को भी रेस्पोडेन्ट के रूप में संयोजित किया जावे नही तो प्रकरण के गुणावगुणों पर विपरीत प्रभाव पडेगा और प्रार्थी न्याय से वंचित हो जावेगे जिसकी क्षतिपूर्ति एवजाने में नही आकी जा सकेगी इसलिए न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है कि प्रार्थी को भी रेस्पोडेन्ट के रूप में संयोजित किया जावे।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर के प्रार्थी दिलखुश पिता शंकर लाल जी कुमावत आयु 17 वर्ष नाबालिक व विलाकत प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती सलादेवी पत्नी श्री शंकरलाल जी कुमावत उम्र 42 वर्ष निवासी गोमाना तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ को अपीलाण्टगण के रूप में संयोजित किया जावे।

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री अनुराग जैन ने प्रार्थी दिलखुश का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सहपठित धारा 151 जाप्ता दिवानी पर नोट प्रेस्ड करते हुवे अपना मामला वापस लेने का फैसला किया। अधिवक्ता इस मामले में बहस नहीं करना चाहा है। अतः प्रार्थी दिलखुश का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सहपठित धारा 151 जाप्ता दिवानी नोट प्रेस्ड किये जाने से निवेदन करने पर प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही निरस्त किये जाने के आदेश दिया जाता है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने रेस्पोडेन्ट का न्यायालय में उपस्थित नही होने पर मूल अपील पर एक तरफा कार्यवाही करने निवेदन करते हुए अपील पर एक तरफा बहस किये जाने निवेदन किया। पत्रावली में संलग्न रेस्पोडेन्ट के नाम जारी नोटिस का अवलोकन किया तो पाया कि रेस्पोडेन्ट के नाम जारी नोटिस लेने से इन्कार करते हुवे मामले की जानकारी होना अवगत कराते हुवे नोटिस लिया नही गया जिस पर तहसीलदार ने नोटिस को तामिल होना जाहिर कर लौटाया गया। अतः प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्री मानसिंह पिता श्री शोभागमल कुमावत निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेडा, जिला चितौडगढ के खिलाफ अदम हाजरी अदम पैरवी में एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है।

मूल अपील पर आज दिनांक 20.12.2023 को बहस एक तरफा सुनी गई शेष बहस पुनः दिनांक 29.12.2023 को बहस एक तरफा सुनी गई जिसमें विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि विवादित भूमि अपीलार्थी के पूर्वजों की होकर उनके संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पत्ति है और उसमें अपीलार्थी एवं उसके भाई के नाम पर उनकी पिताजी की मृत्यु होने से विरासत से दर्ज हुई है। उक्त भूमि का कभी बंटवारा नहीं हुआ है। अपीलार्थी के भाई श्री माधुलाल व उसकी पत्नि दोनों लाऔलाद फौत हो चुके है। अपीलार्थी अपने भाई की भूमि का तन्हा स्वामी काश्तकार काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। अपने भाई की मृत्यु होने पर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष विरासत के आधार पर नामान्तरकरण हेतु आवेदन किया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी–1 श्री मानसिंह द्वारा एक अनरजिस्टर्ड वसीयत पेश कर उसके नामान्तरकरण करने का आवेदन किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैद्यानिक तौर पर स्वीकार करते हुए वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत करने का निर्णय पारित कर दिया गया, जबकि विवादित भूमि पैतृक भूमि होकर उसकी वसीयत नहीं की जा सकती है। पैतृक भूमि होना प्रमाण पटवारी रिपोर्ट से जाहिर होता है। उक्त भूमि के संबंध में अपीलार्थी द्वारा एक वाद उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 28.11.2022 को स्थगन जारी किया हुआ था, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

न्यायालय संभागीय आयुक्त बांसवाड़ा

संभागीय आयुक्त बांसवाड़ा (राज.)

उक्त आदेश पारित कर दिया। उक्त वसीयत को निरस्त कराने बाबत सिविल न्यायालय में भी प्रकरण पेश कर रखा जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13.02.2023 को स्थगन आदेश पारित कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के संबंध में लम्बित प्रकरणों का नजरअदांज कर अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण के आदेश प्रसारित कर दिये जबकि तहसीलदार को वसीयत की जांच का अधिकार नहीं है, यद्यपि पैतृक भूमि की वसीयत नहीं की जा सकती है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर श्री माधुलाल की खातेदारी भूमि का विरासत के आधार पर नामान्तरकरण अपीलार्थी के पक्ष में पारित किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान परिशीलन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि श्री मानसिंह द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–135(2) भू–राजस्व अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत कर अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर इन्तकाल खोलने का अनुरोध किया। दिनांक 16.11.2022 को मृतक श्री माधुलाल के भाई श्री केशुराम कुमावत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर विरासत के आधार पर नामान्तरकरण खोले जाने हेतु अनुरोध किया। तहसीलदार, छोटीसादड़ी द्वारा प्रकरण दर्ज कर निर्णय दिनांक 26.12.2022 से मृतक माधुलाल के नाम अंकित भूमि को वसीयत के आधार पर श्री मानसिंह पिता श्री शोभागमल कुमावत निवासी बिनोता तहसील चित्तौड़गढ़ के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रसारित किया। उक्त निर्णय दिनांक 26.12.2022 से व्यथित होकर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 09.11.2022 में अंकित किया गया है कि **"वसीयत की गई आराजी वसीयतकर्ता की पैतृक सम्पत्ति है।"**। प्रस्तुत प्रकरण में मृतक माधुलाल को प्राप्त सम्पत्ति किसी भी प्रकार से निजी व स्वअर्जित संपत्ति नहीं है, जो पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट से प्रमाणित है। जिस वसीयत को आधार बनाया जा रहा है वह विधिक रूप से स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस प्रकरण में सबंधित सम्पत्ति स्वअर्जित न होकर पैतृक है। कानून के इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर तहसीलदार, छोटीसादड़ी द्वारा कोई गौर नहीं किये जाने से पारित निर्णय 26.12.2022 को समर्थन नहीं किया जा सकता है।

द्वितीय नामान्तरकरण जैसी सरसरी कार्यवाही में वसीयत अथवा गोद जैसे जठित प्रश्नों का निस्तारण नहीं किया जा सकता। वसीयत अथवा गोद के बिन्दू साक्ष्य के आधार पर नियमित वाद में ही निर्णीत किये जा सकते हैं। नामान्तरकरण की कार्यवाही 'सरसरी' कार्यवाही होती है जिसके आधार पर किसी के खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते हैं। अपने अधिकार तय कराने बाबत् सक्षम न्यायालय में चाराजोई करनी चाहिये। उक्त कानूनी बिन्दुओं पर तहसीलदार, छोटीसादड़ी द्वारा कोई जांच नहीं की गई, जो समर्थन योग्य नहीं हैं।

राजस्थान भू राजस्व (लेण्ड रिकाडे) रूल्स 1957 के नियम 132 के अनुसार अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता है साथ ही जहां वसीयती वारिस और प्राकृतिक वारिसान में विवाद हो, वहां पर वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया।

2017 (2) RRT 1279 में मण्डल की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उनवान बलराज सिंह एवं अन्य बनाम होशियार सिंह एवं अन्य में निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया गया है–

"Rajasthan Land Revenue Act, 1956- Sec. 135 & 84 - Mutation- attested in favour of petitioners on the basis of Will-Addl. Collector allowed the appeal and found the will suspicious – Will was unregistered & only attested by the Notary – Divisional Commissioner found the will suspicious even then set aside the order of the Addl. Collector – BOR allowed the revision of non-petitioners – Held, No illegality or perversity in order passed by the BOR"

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956–धारा 135 व 84–वसीयत के आधार पर प्रार्थीगण के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया– अतिरिक्त कलक्टर ने अपील स्वीकार की और वसीयत को संदिग्ध होना पाया–वसीयत अनरजिस्टर्ड थी और नोटेरी द्वारा तस्दीक शुदा थी–सम्भागीय आयुक्त ने वसीयत को सन्देहास्पद होना पाया फिर भी अतिरिक्त कलेक्टर का आदेश अपास्त किया–अप्रार्थीगण की निगरानी राजस्व मण्डल ने स्वीकार की–निर्णीत, राजस्व मण्डल द्वारा पारीत आदेश में अवैधता या प्रतिकुलता नहीं है।

2016 (2) RRT 1099 में मण्डल की माननीय एकल पीठ द्वारा उनवान रामलाल बनाम मोती एवं अन्य में निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया गया है–

"Rajasthan Land Revenue Act, 1956- Sec. 135- Mutation- Will in favour of 'R' Addl. Divisional Commissioner directed to record the land in the name of heirs of 'L'- Dispute between

न्यायालय संभागीय आयुक्त बांसवाड़ा

संभागीय आयुक्त बांसवाड़ा (राज.)

natural heirs & testamentary heirs 'R'- 'R' is required to prove will in the regular suit- Suit for title is pending- Held, Interference in the order is not justified."

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956–धारा 135–नामान्तरकरण –'आर' के पक्ष में वसीयत–अति. सम्भागीय आयुक्त ने 'एल' के वारिसान के नाम भूमि दर्ज करने का निर्देश दिया–प्राकृतिक वारिसान व वसीयत वारिस 'आर' के बीच विवाद–नियमित वाद में 'आर' को वसीयत साबित करना आवश्यक है–स्वत्व हेतु वाद लम्बित है–निर्णीत, आदेश में हस्तक्षेप न्यायसंगत नहीं है।

2003 (1) RRT 650 में मण्डल की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रकरण उनवानी जेठू बनाम भंवरसिंह व अन्य में स्पष्ट मत इस प्रकार से व्यक्त किया है–

"Rajasthan Land Revenue Act, 1956- Sec. 135- Mutation Proceeding – Fiscal entries like mutation does not represent or create any title or interest in the property, nor the complicated issue of succession, either by way of Will of adoption can be settled in mutation proceedings and the parties have to approach the appropriated forum for adjudication of title."

''राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956–धारा 135–उत्परिवर्तन कार्यवाही–उत्परिवर्तन जैसी राजकोषीय प्रविष्टियाँ संपत्ति में किसी भी शीर्षक या हित का प्रतिनिधित्व या निर्माण नहीं करती है, न ही उत्तराधिकार के जटिल मुद्दे को गोद लेने की वसीयत के माध्यम से निपटाया जा सकता है। उत्परिवर्तन कार्यवाही और पक्षों को स्वामित्व के निर्णय के लिए उचित मंच से संपर्क करना होगा।''

हिन्दु सक्सेशन एक्ट 1956 की धारा 8 General rules of succession in the case of males के बिन्दु (b) secondly, if there is no heir of class I then upon the heirs, being the relatives specified in class II of the Schedule; (3) brother

उक्तानुसार जहां प्राकृतिक वारीसान व वसीयती वारीस के मध्य विवाद हो, वहां नियमित वाद में वसीयत साबित करना आवश्यक है।

प्रावधित है कि नामान्तरकरण एक ऐसी कार्यवाही है जो भूमिधारी अर्थात राज्य सरकार को लगान का भुगतान करने हेतु कौन सर्वाधिक हकदार है इस बात का विनिश्चय करती है। उपरोक्त निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि नामान्तरकरण एक वित्तीय कार्यवाही है, यह कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है। यह केवल यह निर्धारित करती है कि लगान/कर किसके द्वारा देय होगा। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा के अनुसार, एक टीनेंट वह होना चाहिए जिसके द्वारा लगान/किराया/कर देय हो। नामान्तरकरण एक ऐसी कार्यवाही है जो भूमिधारी अर्थात राज्य सरकार को लगान का भुगतान करने हेतु कौन सर्वाधिक हकदार है इस बात का विनिश्चय करती है। उपरोक्त विधिक स्थिति अनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही को इस आधार पर अपास्त नहीं किया जा सकता है कि पक्षकारों के मध्य वाद लम्बित है। जहां तक अन्य न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का संबंध है, पत्रावली पर उपलब्ध एवं प्रस्तुत दस्तावेजों से यह जाहिर नहीं होता है कि इस निर्णय को पारित किये जाने के दिवस पर कोई स्थगन प्रभावी है। जो स्थगन जारी किये गये थे, उन्हें खारिज कर दिये गये है, जो पारित आदेशों से परिलक्षित होते है।

इस प्रकरण में वादग्रस्त कृषि भूमि पैतृक होकर अपीलाण्ट के सगे भाई स्व. श्री माधुलाल के खातेदारी की है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार हिन्दु पुरूष का उतराधिकार तय किया जाता है। स्वर्गीय माधुलाल के प्रथम श्रेणी के कोई उतराधिकारी होना पत्रावली पर आई साक्ष्य से साबित नही होता है एवं प्रमाणित नही है। अपीलाण्ट केशुराम हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार द्वितीय श्रेंणी का उतराधिकारी है एवं अपीलाण्ट के अलावा अन्य कोई उतराधिकारी नही है। अतः हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के धारा 8 के अनुसार अपीलाण्ट द्वितीय श्रेणी का उतराधिकारी होने से स्वर्गीय माधुलाल की कृषि भूमि उसकी मृत्यु के बाद अपीलाण्ट में न्यायगत हो गई है। अतः प्रथम दृष्टया विधिक अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

पत्रावली में संलग्न न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ के प्रकरण संख्या 58/2022 उनवान केशुराम बनाम अंतिम कुमार अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में आदेशिका दिनांक 09.02.2023 अनुसार हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी बहस के दोहरान उभयपक्ष अधिवक्ताओं ने तथा प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.02.2023 में भी स्वीकार किया कि प्रासंगिक प्रकरण के संबध में एक वाद वसीयत खारीज करने हेतु सिविल न्यायालय में दर्ज होकर जरेकार है चुंकि वसीयत का निर्धारण करने का अधिकार सक्षम प्रावधानों की पालना नही की है। अतः एक पक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 28.11.22 आगे बढाया जाना उचित प्रतित नही होता है। अतः दिनांक 28.11.22 को जारी एक पक्षीय स्थगन आदेश को हटाया जाता है। पत्रावली वास्ते तामिल ईन्तजार अन्य विपक्षीगण हेतु दिनांक 01.03.2023 को पेश है।

पत्रावली में संलग्न न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या सीएम 11/23 उनवान केशुराम बनाम मानसिंह में आदेशिका दिनांक 14.02.2023 अनुसार वकुलाय मशीकेल उपस्थित। जवाब टी आई मय दस्तावेजात फार्म नं. 5 सहित पेश हुआ। नकल दिलाई गई।

न्यायालय संभागीय आयुक्त बांसवाड़ा

संभागीय आयुक्त
बांसवाड़ा (राज.)

पत्रावली वास्ते बहस टी.आई. दिनांक 15.02.2023 को पेश हो। तब तक पक्षकारान रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

पत्रावली में संलग्न न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या सीएम 11/23 उनवान केशुराम बनाम मानसिंह में आदेशिका दिनांक 27.03.2023 अनुसार वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थीया सलादेवी द्वारा नाबालिग दिलखुश की ओर से आदेश 1 नियम 10 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया नकल दिलाई गई। प्रार्थी केसुराम द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 29.03.2023 को पेश हो तब तक पक्षकारान रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

पत्रावली में संलग्न न्यायालय जिला न्यायाधीश, प्रतापगढ़ के विविध सिविल अपील 05/2023 केशुराम बनाम मानसिंह आदेशिका दिनांक 11.05.2023 अनुसार फलस्वरूप जैर अपील आदेश अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत पत्र पर विधि अनुसार आदेश पारित करें तथा वसीयत व वसीयत के साथ प्रस्तुत दस्तावेज पर भी प्रथम दृष्टया मामले की स्टेज पर विवेचन कर विधि अनुसार पुनः अपना निष्कर्ष पारित करे। पक्षकारान को विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.05.2023 को उपस्थित रहने हेतु पाबन्द किया जाता है। तब तक विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.03.2023 प्रभावी रहेगा। आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे।

पत्रावली में संलग्न न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या सीएम 11/2023 उनवान केशुराम बनाम मानसिंह में आदेशिका दिनांक 25.05.2023 अनुसार पत्रावली वास्ते पेश होने गवाहान के शपथ–पत्र/सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.2023 को पेश हो। तब तक इस न्यायालय की आदेशिका दिनांक 27.03.2023 के अनुसार उभयपक्षकारान रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

दिनांक 18.04.2023 को आदेश अनुसार परिणामतः प्रार्थी केशुराम पिता गंगाराम, निवासी गोमाना, तहसील छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सिविल प्रक्रिया संहिता विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 01 मानसिंह पिता सौभागमल, निवासी बिनोता, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तोडगढ 02 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छोटीसादड जिला प्रतापगढ़ 03 दिलखुश पिता शंकरलाल नाबालिक जरिये सरपरस्त माता सलाबाई पत्नी शंकरलाल निवासी गोमाना, तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ अस्वीकार कर खारिज किया जाता है व विपक्षी संख्या 03 दिलखुश पिता शंकरलाल नाबालिक जरिये सरपरस्त माता सलाबाई पत्नी शंकरलाल निवासी गोमाना तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र भी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश दिनांक 18.04.2023 के बिन्दु संख्या 13 में जाहिर किया कि प्रार्थी केशुराम द्वारा भी माधुलाल की वसीयत दिनांक 10.12.2018 की एक प्रति प्रस्तुत की है और कथन किया है कि उनके द्वारा नोटरी से प्राप्त सत्यप्रति पर गवाहों के हस्ताक्षर नही है, जबकि विपक्षी संख्या 1 द्वारा जो प्रति प्रस्तुत की है, उसमें गवाहों के हस्ताक्षर है। जिससे यह प्रकट होता है कि उक्त वसीयत फर्जी तौर पर तैयार की गई है। परन्तु उपरोक्त सभी परस्पर विरोधाभासी तथ्य मूल वाद में उभय पक्ष की साक्ष्य आने के पश्चात ही तय किये जा सकते है कि कौनसी वसीयत सत्य है ?

कार्यालय तहसीलदार छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ के पत्रांक राजस्व/2023/1168–69 दिनांक 28.03.2023 के संलग्न प्रकरण संख्या 15/2022 मूल पत्रावली अनुसार केशुराम के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.11.2022 को आदेशिका में नही लिया गया। मात्र निर्णय में हवाला देकर इति श्री की जाना प्रतीत है। आदेशिका में आपत्ति, साक्ष्य, गवाह प्रस्तुत करने समय नही दिया गया। जो कि नैसर्गिक सिद्धान्त का हनन हे। प्रार्थी केशुराम को सुनवाई का अवसर भी नही दिया। प्रार्थना पत्र एवं पटवारी रिपोर्ट अनुसार पैतृक से विरासत एवं अपंजीकृत वसीयत का विवाद होना स्पष्ट जाहिर है। वसीयत से पैतृक भूमि का नामान्तरकरण, पैतृक भूमि से विरासत के नामान्तरकरण का मामले में मनन नही किया जाना जाहिर है। पटवारी रिपोर्ट में पैतृक भूमि का जिक्र भी किया गया था। जिस पर विवेचना नही की गई है। केशुराम के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.11.2022 का विरासत से नामान्तरकरण खोले जाने के क्रम में पेश को वसीयत की प्रक्रियाधीन पत्रावली में संलग्न करे निर्देश के साथ संलग्न किया गया । आदेशिका में इस पत्र का हवाला नही दिया न ही इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई आदि की गई। अपंजीकृत वसीयत से पैतृक भूमि का नामान्तरकरण, पैतृक भूमि से विरासत के नामान्तरकरण का मामला संज्ञान में आ चुका था। पटवारी रिपोर्ट में पैतृक भूमि एवं कब्जा नही होना तथा वसीयत गृहिता परिवार का सदस्य नही था। ऐसी स्थिति में विस्तृत जाचं कर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की विवेचना की जानी चाहिए थी। जो नही की गई। सीधे ही प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली एवं आदेश में प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दु का हवाला देकर निर्णय जल्दबाजी में दिया जाना जाहिर है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी में दर्ज प्रकरण संख्या 58/2022 उनवान केशुराम बनाम अंतिम कुमार में तहसीलदार छोटीसादडी में पार्टी था। इस प्रकरण में दिनांक 28.11.2022 से दिनांक 09.02.2023 तक अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश थे। इस आदेश के बावजुद दिनांक 26.12.2022 को तहसीलदार छोटीसादडी ने आदेश जारी किये गये। जो भूल रही है। मानसिहं की वसीयत दिनांक 10.12.2018 को लिखी होना जाहिर है। जबकि वसीयत स्टाम्प वर्ष 2016 का है। इस पर भी गौर नही

न्यायालय संभागीय आयुक्त बांसवाड़ा

संभागीय आयुक्त
बांसवाड़ा (राज.)

किया गया। वसीयत के गवाहान परिवार व गांव के न होकर अन्य गांव के है। मानसिहं की वसीयत दिनांक 10.12.2018 एवं केशराम के पोते दिलखुश की वसीयत दिनांक 03.06.2019 की होना जाहिर है। दो वसीयत एवं विरासत का मामला प्रकरण में जाहिर हो रहा है।

अतः उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्यों, कानूनी प्रावधानों एवं न्यायिक दृष्टांतों को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार, छोटीसादड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.2022 निरस्त किया जाता है । पत्रावली इस निर्देश के साथ तहसीलदार छोटीसादडी को प्रतिप्रेषित की जाती है कि इस निर्णय की रोशनी में वसीयत की वैधता राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णीत नहीं की जा सकती। वसीयत को शून्य घोषित करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को है। पक्षकारान मानसिंह व दिलखुश अपनी–अपनी वसीयत को सक्षम न्यायालय में सिद्ध कर अनुतोष प्राप्त करे। अधीनस्थ न्यायालय उभय पक्षों को सुनकर विधि अनुसार आदेश पारीत कर नामान्तरकरण की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार, छोटीसादड़ी को पालनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय संभागीय आयुक्त
सत्यमेव जयते
बांसवाड़ा

(डॉ. नीरज कुमार पवन)
संभागीय आयुक्त
बाँसवाड़ा
संभागीय आयुक्त
बांसवाड़ा (राज.)